

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

प्रदीप कुमार

गोपिराम आदि

दावा बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 157/2021

निर्णय दिनांक :- 12-11-2021

वादी की ओर से वकील सुदेश तेली की व प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 की

ओर से वकील सतवीर पुनिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोजा अनुपखंड के खाता सं. 66/124 के खसरा सं. 884 की 3.0980 है, खसरा सं. 889 की 4.6410 है कुल 7.7390 है नाराना खेतवारी प्रतिवादी सं. 1 गोपिराम के नाम से रोही अनुपखंड के खाता सं. 181/167 के खसरा सं. 50 की 2.9720 है, खसरा सं. 51 की 3.2880 है, खसरा सं. 807 की 2.7440 है, खसरा सं. 813 की 3.0600 है, खसरा सं. 947 की 4.1730 है, खसरा सं. 946 की 3.0730 है, खसरा सं. 947 की 2.8070 है कुल 22.1170 है नाराना खेतवारी में प्रतिवादी सं. 1 गोपिराम के नाम 386 दिस्ता राजस्व रिजार्ड में दर्ज है उस से प्रतिवादी सं. 1 का

बजाए वादी प्रदीप कुमार व प्रतिवादी सं. गोपिराम, प्रतिवादी सं. 2 सदीप कुमार को दिस्ता करावर के खेतदार काश्तकार घोषित किया जाता है

और प्रतिवादी सं. 3, 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व दिस्ता वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पूरा में त्याग कर अपना दिस्ता अन्य कर विभाजक के लिये गये दिस्ता पर पंजीयन करके अदा न लेने व यदि कृषि

युक्ति के लिये हो तो खतमुक धन के उपरान्त ही रापस्य रिजार्ड में अमलदरोमद किया जावे राजानामा को डिक्री का आदेश पढा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़, प्र.ग. के संग अ-2021